सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष-2024

(जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024)

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

www.ric.rajasthan.gov.in

अनुक्रम

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1–2
2.	विशिष्ट अदालत	3
3.	तकनीकी परिवर्तन	4
4.	राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	5–17
5.	अधिनियम का क्रियान्वयन	18–20
6.	संप्रेषण	21–25
7.	परिशिष्ट	26–38

अध्याय – 1

प्रस्तावना

श्री मोहनलाल लाठर
(मुख्य सूचना आयुक्त)

श्री सुरेश चन्द गुप्ता
(सूचना आयुक्त)

श्री महेन्द्र कुमार पारख
(सूचना आयुक्त)

श्री टीकाराम शर्मा
(सूचना आयुक्त)

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि **'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता'** प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है कि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त कर अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी अपेक्षा की गई है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, उसे इस अधिनियम के माध्यम से, सौहाद्रपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशलतापूर्वक कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहाँ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे ? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं अथवा नहीं ? इसलिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार हो। अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्यकलाप एवं लेखा–जोखा की पारदर्शिता नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था है, अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षों में सूचना के अधिकार को सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी समझ बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर था। इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण, नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिल रही है, जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में नवीनता का संचार हुआ है।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में लोकसभा में सूचना का अधिकार विधेयक पेश हुआ। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धारा 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई। इस अधिनियम के शेष उपबंध अधिनियमन के 120वें दिन लागू हुए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती–राज संस्थाओं तथा उन सभी निकायों पर, जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन हैं, लागू है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। सूचना के अधिकार को इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् शासन–प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है, वहीं आम नागरिकों में भी जागरूकता की भावना बलवती हुई है।

अध्याय – 2

विशिष्ट अदालत

आयोग द्वारा गत वर्ष 2023 तक के सभी लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशिष्ट अदालत आयोजित कर प्रकरण निस्तारित किये गए। दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक कुल 6832 द्वितीय अपील एवं 1383 परिवाद लम्बित थे। जोधपुर में नवीन बैंच आरम्भ नहीं होने की स्थिति में आम नागरिकों की मांग पर जोधपुर संभाग के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु दो दिवसीय विशिष्ट अदालत दिनांक 11.09.2024 से दिनांक 12.09.2024 तक जोधपुर मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गयी। जिसमें 71 प्रकरणों को सुना जाकर 65 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

इस वर्ष भी आयोग द्वारा वर्ष 2024 में दर्ज प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करना तय किया जाकर एक बैंच कम होते हुए भी सभी आयुक्तगणो के प्रयासों से औसतन प्रतिमाह लगभग 1594 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

अध्याय – 3

तकनीकी परिवर्तन

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन अपीलों व परिवादों को दर्ज करने की सुविधा हेतु आर.टी.आई. पोर्टल 2.0 काम में लिया जा रहा है। इस पोर्टल के जरिये ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से द्वितीय अपील/परिवादों को दर्ज किया जा रहा है। वर्ष 2024 (1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2024) में कुल दर्ज प्रकरण 17246 थे उनमें से 5047 प्रकरण (29.26 प्रतिशत) ऑनलाइन दर्ज हुये।

ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच भी ऑनलाइन ही की जा रही है तथा कमियां पाये जाने पर ऑनलाइन ही आवेदक को अवगत कराया जा रहा है। कमी की पूर्ति होने पर ऑनलाइन द्वितीय अपील/परिवाद दर्ज किये जा रहे है। ऑनलाइन दर्ज द्वितीय अपील/परिवाद के नोटिस/निर्णय भी, प्रार्थी/लोक सूचना अधिकारी अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन कर ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं।

आयोग द्वारा लोकहित में वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था भी प्रारम्भ कर दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 360/2021 किशन चन्द जैन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिये निर्णय दिनांक 09.10.2023 के क्रम में सम्पूर्ण भारत के सूचना आयोगों को हाईब्रिड सुनवाई व्यवस्था अर्थात् व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ ही वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये है। माह जनवरी से दिसम्बर, 2024 तक पांचों न्यायालयों के 242 प्रकरणों में वर्चुअल सुनवाई की गई, साथ ही सभी अपीलकर्ता व परिवादियों से वर्चुअल सुनवाई का विकल्प प्रथम नोटिस से ही मांग लिया जाता है। वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था हो जाने से प्रार्थी/लोक सूचना अधिकारी को आयोग कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय, श्रम व कागजी दस्तावेज आदि की बचत होगी तथा त्वरित न्याय की अवधारणा व पारदर्शिता बढ़ेगी।

अध्याय – 4

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट व अन्य सूचनाएं

(अ) गठन :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत् राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। राज्य के प्रथम, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। दिनांक 01.09.2010 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री एम.डी. कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.04.2011 को पूर्ण हुआ, तत्पश्चात् द्वितीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को, दिनांक 05.09.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल को माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक 10.10.2014 को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी. श्रीनिवासन का कार्यकाल दिनांक 13.08.2015 को पूर्ण होने के पश्चात् तृतीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री सुरेश चौधरी तथा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री चन्द्रमोहन मीना एवं श्री आशुतोष शर्मा को दिनांक 06.11.2015 को राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल का कार्यकाल दिनांक 04.08.2016 को पूर्ण हुआ। दिनांक 03.10.2018 को दो सूचना आयुक्त श्री लक्ष्मणसिंह राठौड़ एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड़ ने पदभार ग्रहण किया। श्री सुरेश चौधरी का कार्यकाल दिनांक 25.12.2018 को पूर्ण हुआ। दिनांक 10.04.2019 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर श्री चन्द्रमोहन मीना सूचना आयुक्त पद से कार्यमुक्त हुए। श्री आशुतोष शर्मा का कार्यकाल दिनांक 05.11.2020 को पूर्ण हुआ। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री डी.बी. गुप्ता, सूचना आयुक्त के रूप में श्री नारायण बारेठ एवं सूचना आयुक्त के रूप में श्रीमती शीतल धनखड़ ने दिनांक 11.12.2020 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री नारायण बारेठ का कार्यकाल दिनांक 30.09.2022 को पूर्ण हुआ। श्री मोहनलाल लाठर ने दिनांक 16.01.2023 को सूचना आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड़ का कार्यकाल 14.08.2023 को पूर्ण हुआ है। श्री लक्ष्मण सिहं राठौड़ का कार्यकाल 02.10.2023 को पूर्ण हुआ। श्री डी.बी. गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त एवं श्रीमती शीतल धनखड़ सूचना आयुक्त का कार्यकाल 10.12.2023 को पूर्ण हुआ। श्री मोहन लाल लाठर ने दिनांक 09.07.2024 को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त होकर कार्यग्रहण किया। साथ ही श्री सुरेश चंद गुप्ता, श्री महेन्द्र कुमार पारख एवं श्री टीकाराम शर्मा ने भी दिनांक 09.07.2024 को सूचना आयुक्त के पद पर कार्यग्रहण किया। आयोग एक वैधानिक निकाय है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।

(ब) संगठनात्मक ढाँचाः–

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

मुख्य सूचना आयुक्त

- सूचना आयुक्त (प्रथम)
- सूचना आयुक्त (द्वितीय)
- सूचना आयुक्त (तृतीय)
- सूचना आयुक्त (चतुर्थ)

- विशेषाधिकारी एवं पंजीयक
  - उप पंजीयक (अपील्स)
- सचिव
  - उप सचिव
    - कार्यालय स्टाफ
      - (लेखा, अपील, परिवाद, संस्थापन, डाक आवक–जावक आदि अनुभाग)
  - प्रशासनिक अधिकारी
  - सहायक निदेशक
  - प्रोग्रामर
  - सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)
  - वरिष्ठ विधि अधिकारी

(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20 एवं 25 में सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादित करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ–साथ अधिनियम की सफल क्रियान्विति के लिए लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये गये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

राज्य सूचना आयोग में निहित शक्तियों का विवरण:–

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ:– आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं–

(क) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना आवेदन को लेने से इंकार कर दिया है।

(ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया है।

(ग) राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उससे मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।

(ड) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अभिलेखों के लिये अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जहां यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जाँच करने के लिये युक्तियुक्त आधार है, वहाँ वह उसके संबंध में जाँच आरम्भ कर सकेगा।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जाँच करते समय आयोग में दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण वह सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित कार्यवाही करने में सक्षम है :–

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगाना;

(ड़) साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच में लोक प्राधिकरण के नियंत्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से दी गई छूट की श्रेणी में ही क्यों न सम्मिलित हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :–

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग में निहित है।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में विनिश्चय प्राप्त किया गया था, या निर्धारित समयावधि में विनिश्चय नहीं होने अथवा विनिश्चय से असंतुष्टि की स्थिति में, 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये गये, विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज की जा सकती है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है, आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य के प्रमाणीकरण का भार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत् सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ति अधिरोपण की शक्तियाँ :–

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्ति अधिरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयुक्त की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण –

(क) सूचना का आवेदन लेने से मना कर दिया है, या

(ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या

(ग) सूचना के आवेदन को असद्भावनापूर्वक अस्वीकार कर दिया है, या

(घ) जान–बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या

(ड़) सूचना के आवेदन की विषय–वस्तु को नष्ट कर दिया है, या

(च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रुपये 250/– प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो अधिकतम रुपये 25000/– हो सकती है।

शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिए विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सिफारिश कर सकेगा।

(4) अधिनियम की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना :–

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय राज्य सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है :–

(1) सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्;

(2) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में;

(3) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करवाने के संबंध में;

(4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में;

(5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में;

(6) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में;

(7) राज्य सूचना आयोग, अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकारी से करवाने के संबंध में;

(8) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में;

(9) आवेदन को नामंजूर करने के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत आयोग को अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:–

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या

(2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या

(3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम

(4) एकत्रित शुल्क की धन राशि

(5) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण

(6) सुधार के लिए सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है, जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है, तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हें सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :–

आयोग को वर्ष 2024–25 के लिए राशि रू. 713.00 लाख ''ग्रान्ट इन एड'' के रूप में आवंटित की गई है। जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2024 तक राशि रू. 444.00 लाख का व्यय हुआ।

(6) कार्यालय :–

आयोग का कार्यालय, आयोग के गठन से, माह अक्टूबर, 2006 तक योजना भवन में एवं माह नवम्बर, 2006 से हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) में संचालित रहा। दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 से वित्त भवन, जनपथ में संचालित हुआ तत्पश्चात्, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) परिसर में आयोग को आवंटित भूमि (2500 वर्ग मीटर) पर नवीन कार्यालय भवन निर्माण एवं फर्नीचर हेतु राशि 5.60 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नवीन भवन का लोकार्पण दिनांक 19.4.2013 को किया गया तत्पश्चात् दिनांक 19.06.2013 से आयोग का कार्यालय स्वयं के भवन में संचालित हो रहा है।

(7) नियमावली :–

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के प्रबन्धन के लिए राजस्थान सूचना आयोग (प्रबन्ध) विनियम 2007 बनाये गये हैं।

(8) क्रियान्विति :–

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20 व धारा 25 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवश्यक कदम उठाये हैं। राजस्थान में आयोग की स्थापना से लगभग उन्नीस वर्ष की अवधि में पूरे राज्य में लोक प्राधिकरणों को अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत करने व तद्नुरूप कार्य करवाने में सफलता प्राप्त हुई एवं उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन–जन तक पहुँचाया है। इसी प्रभावशाली प्रचार–प्रसार का ही यह परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में इस अधिनियम के प्रति लोगों

में जागरुकता आई है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को 1383 परिवाद एवं 6832 द्वितीय अपीलें लम्बित थी।

वर्ष 2024 (दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024) में ''सूचना के अधिकार'' को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

परिवादों का मासिक विवरण

माह	माह के दौरान दर्ज परिवादों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित परिवादों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष परिवादों की संख्या
31 दिसम्बर, 2023			1383
जनवरी, 2024	140	179	1344
फरवरी, 2024	168	124	1388
मार्च, 2024	151	205	1334
अप्रेल, 2024	106	150	1290
मई, 2024	147	268	1169
जून, 2024	81	351	899
जुलाई, 2024	162	199	862
अगस्त, 2024	125	157	830
सितम्बर, 2024	139	133	836
अक्टूबर, 2024	141	154	823
नवम्बर, 2024	231	142	912
दिसम्बर, 2024	171	124	959
योग	**1762**	**2186**	

नोटः–वर्ष 2024 में परिवाद के रूप में दर्ज 1762 प्रकरणों की तुलना में 2186 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार वर्ष 2024 में परिवादों के निस्तारण की **उपलब्धि 124 प्रतिशत** रही।

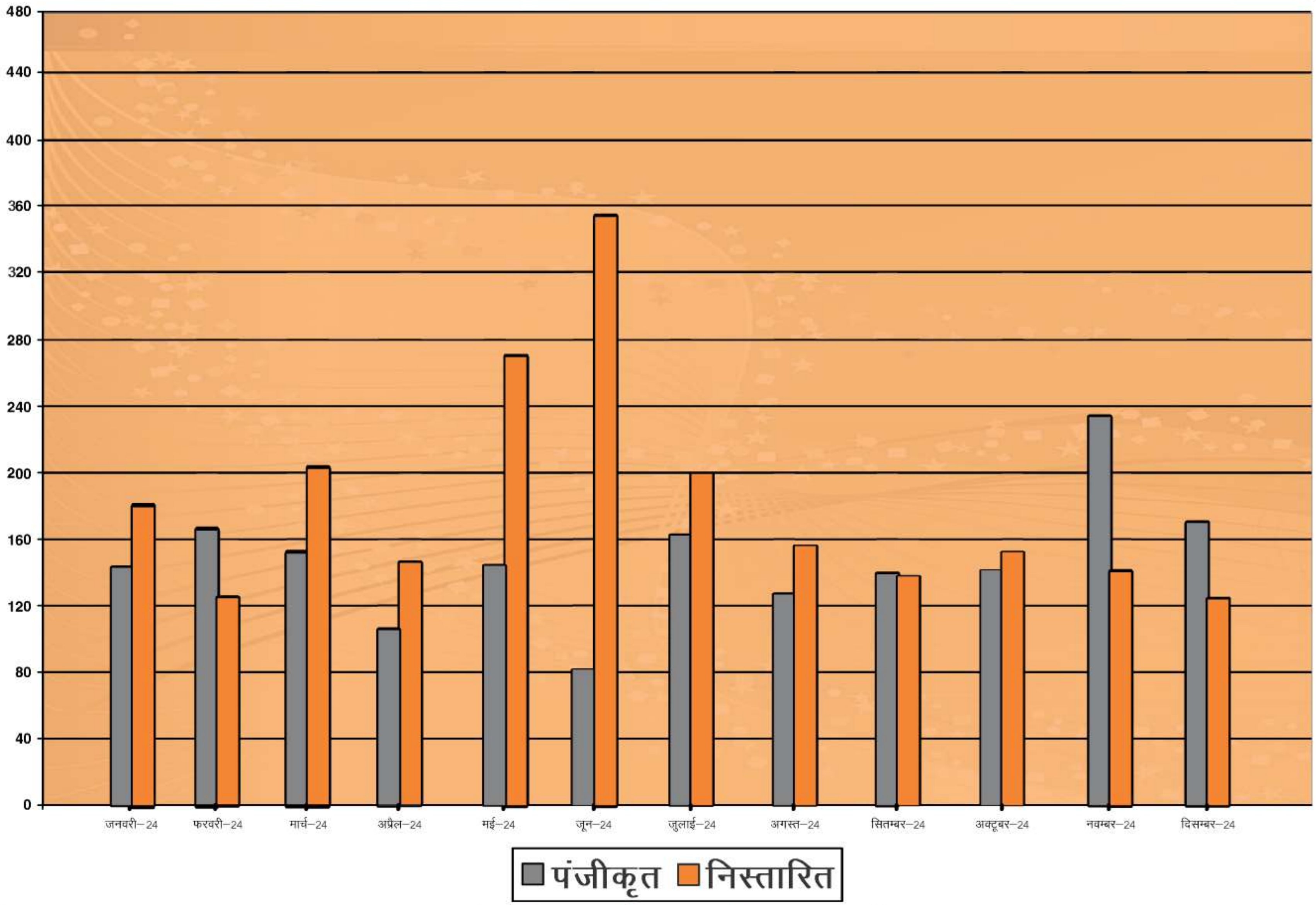
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
जनवरी–24
फरवरी–24
मार्च–24
अप्रैल–24
मई–24
जून–24
जुलाई–24
अगस्त–24
सितम्बर–24
अक्टूबर–24
नवम्बर–24
दिसम्बर–24
पंजीकृत
निस्तारित

परिवादों का विवरण

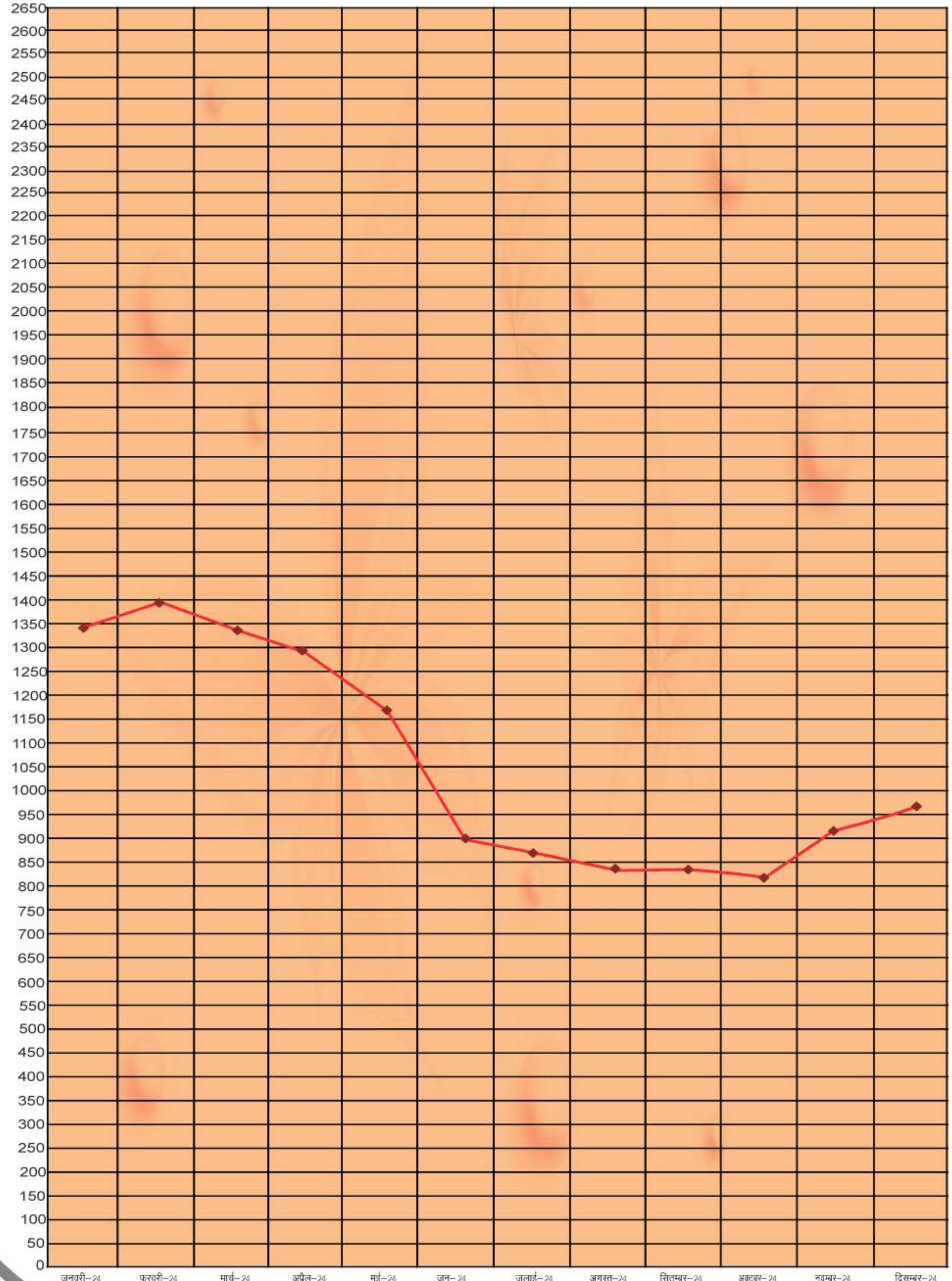

लम्बित परिवादों का विवरण

द्वितीय अपीलों का मासिक विवरण

माह	माह के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
31 दिसम्बर, 2023			6832
जनवरी, 2024	1001	1199	6634
फरवरी, 2024	1517	1154	6997
मार्च, 2024	2029	1299	7727
अप्रेल, 2024	1090	1390	7427
मई, 2024	1334	1501	7260
जून, 2024	909	1672	6497
जुलाई, 2024	1275	1647	6125
अगस्त, 2024	1074	1380	5819
सितम्बर, 2024	1201	1527	5493
अक्टूबर, 2024	1049	1534	5008
नवम्बर, 2024	1831	1360	5479
दिसम्बर, 2024	1175	1280	5374
योग	**15485**	**16943**	

नोटः— वर्ष 2024 में अपील के रूप में दर्ज 15485 प्रकरणों की तुलना में 16943 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार वर्ष 2024 में अपीलों के निस्तारण की **उपलब्धि 109 प्रतिशत** रही।

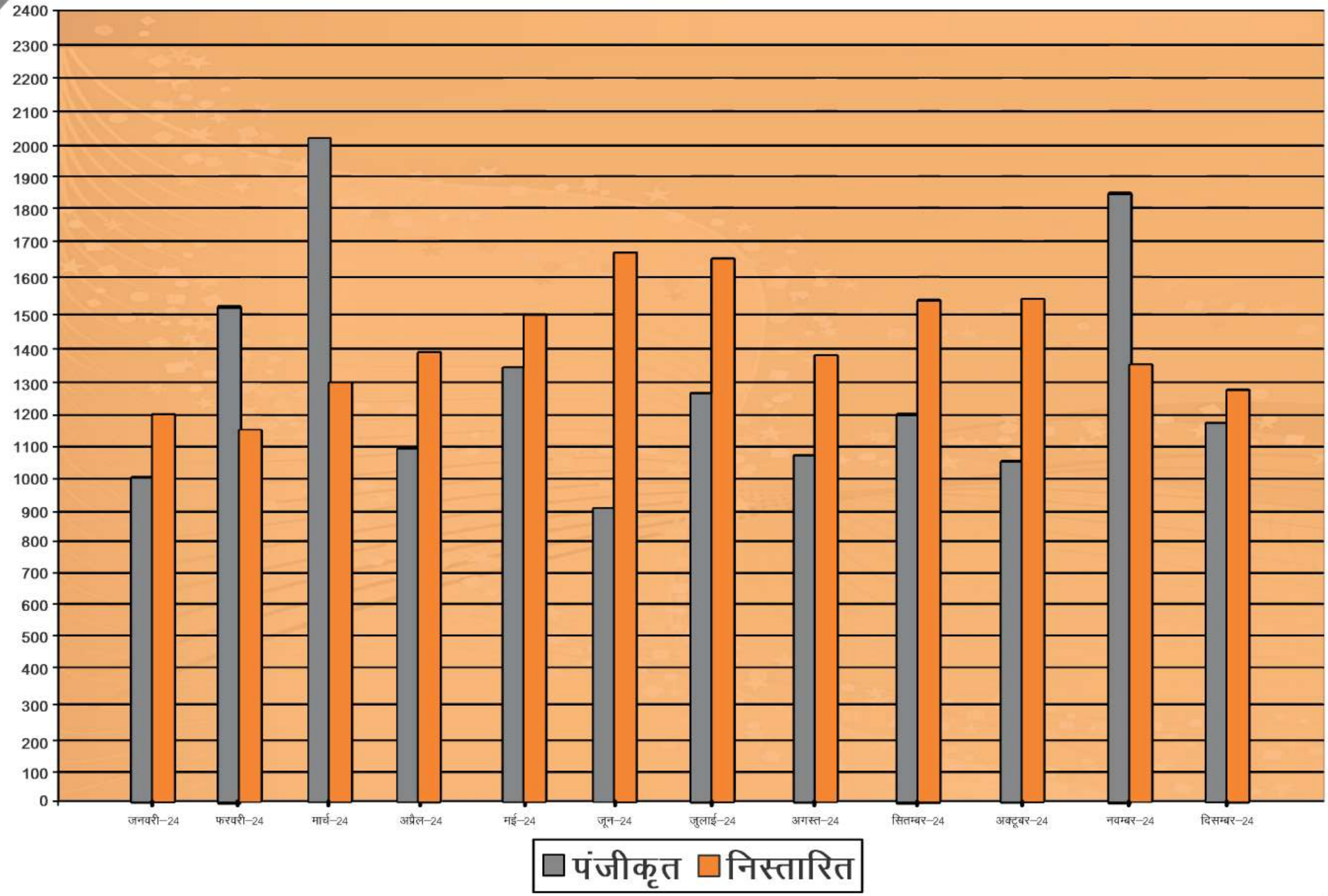

द्वितीय अपीलों का विवरण

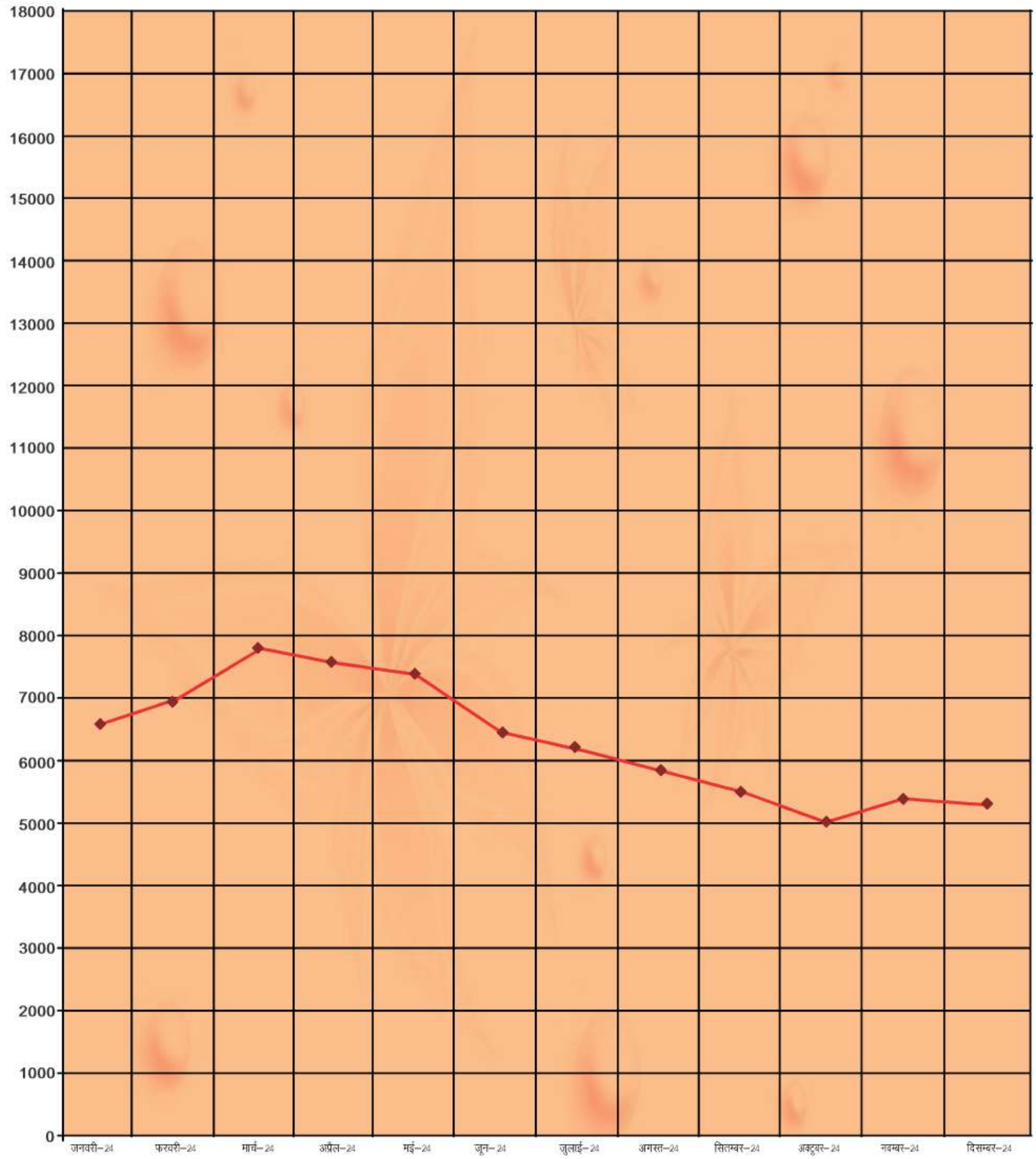

लम्बित द्वितीय अपीलों का विवरण

(9) लोक सूचना अधिकारी :– पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने–अपने विभाग के लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को पदाविहित करने के निर्देश दिये गये। लगभग सभी विभागों / कार्यालयों ने अपने यहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपील प्राधिकारी एवं नोडल अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए है।

''सूचना का अधिकार'' कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (RICEM) व अन्य संस्थाएं हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं।

सूचना का अधिकार पोर्टल 2.0 में सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारियों की सही मैपिंग हेतु नोडल अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों एवं लोक सूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार सूचना आयुक्त श्री महेंद्र कुमार पारख की अध्यक्षता में दिनांक 5.12.2024 को ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। साथ ही पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु राज्य के सभी लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DOITC) द्वारा भी समय–समय पर करवाया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रतिदिन आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, प्रथम अपीलो व द्वितीय अपीलो का निस्तारण नियमानुसार कैसे किया जाए, यह प्रशिक्षण भी संबंधित अधिकारियों / कार्मिकों को दिया जा रहा है।

दिनांक 05.12.2024 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

(10). शास्ति एवं क्षतिपूर्ति

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2024 (माह जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक) में अधिरोपित शास्ति, लगाई गई क्षतिपूर्ति एवं इसके विरुद्ध जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	शास्ति (रुपयों में)		क्षतिपूर्ति (रुपयों में)	
	अधिरोपित	प्राप्त राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
द्वितीय अपील/परिवाद जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024	10,01,000	10,82,051	31,000	—
योग	10,01,000	10,82,051	31,000	—

शास्ति की प्रभावी वसूली एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान कराने हेतु किये जाने वाले प्रयास :–

सूचना आयोग के निर्णयानुसार अधिरोपित शास्ति राशि आयोग में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति राशि का अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु विभागों को कई स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी राशि जमा नहीं कराई जाती है, अतः उक्त अधिरोपित राशि को आयोग में जमा कराने तथा क्षतिपूर्ति राशि का सम्बन्धित अपीलार्थी को भुगतान कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिये सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को पत्र लिखे गये। प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को, शास्ति राशि जमा कराने के संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु समय–समय पर शासकीय/अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गये हैं।

इसके अतिरिक्त शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की प्रभावी वसूली/अदायगी हेतु विभिन्न विभागों की ऑडिट के दौरान अंकेक्षण अनुच्छेद (audit para) के रूप में सम्मिलित किये जाने के क्रम में आयोग के सुझाव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर निर्देश जारी किये गये हैं।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक अधिरोपित शास्ति राशि एवं प्राप्त राशि तथा लगाई गई क्षतिपूर्ति राशि का विवरण :–

विवरण	अधिरोपित शास्ति राशि	प्राप्त शास्ति राशि	लगाई गई क्षतिपूर्ति राशि
1	2	3	4
द्वितीय अपील/परिवाद (31 दिसम्बर, 2024 तक)	5,53,61,250	2,76,21,125	11,25,409

नोट :– इस प्राप्त शास्ति राशि में क्रमशः 10,82,051/– वर्ष 2024 (जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024) की है, शेष राशि पूर्व वर्षों की है।

अध्याय – 5

अधिनियम का क्रियान्वयन

'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्पूर्ण देश में लागू होने के उपरान्त राजस्थान राज्य ने **'राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005'** दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन हुआ है। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व द्वितीय अपीलों का पंजीकरण, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही, लेखों का उचित संधारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में आयोग कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे0 एल0 एन0 मार्ग, जयपुर के परिसर में अन्तरिम व्यवस्था की गई। आयोग के स्वतन्त्र भवन के निर्माण हेतु झालाना लिंक रोड पर हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान परिसर में राज्य सरकार द्वारा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है, जिस पर नवीन भवन निर्मित होने पर आयोग का कार्यालय दिनांक 19.06.2013 को वर्तमान भवन में स्थानान्तरित किया गया है।

राज्य सरकार व सूचना आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप सचिवालय स्तर पर उप सचिवों/संयुक्त शासन सचिवों को अपने–अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारी व उनके प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/सभापति/महापौर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के ग्राम विकास अधिकारी/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध

संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम–पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें, जहाँ प्रत्येक नागरिक को यह ज्ञात हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करनी है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को अद्यतन कर उसका प्रकाशन करें व वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें, ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालयों में चक्कर न लगाने पड़ें। कई विभागों ने विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर वितरित की हैं, जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती हैं। धारा 4 के अन्तर्गत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। विभागाध्यक्ष का यह भी कर्तव्य है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उनके विभाग में प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों का विहित समयावधि में निस्तारण/निर्णय हो। इसके साथ–साथ आयोग द्वारा निर्णीत द्वितीय अपीलों में पारित आदेशों की पालना भी सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र, प्रथम अपील व उनके निस्तारण की स्थिति **परिशिष्ट–2** पर अंकित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुगम बनाया जा सके।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वैच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी ने विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन न किया हो। आयोग द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग (नोडल विभाग) द्वारा प्रारूप (template) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये गये हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू होने के लिये आवश्यक है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के बारे में आम नागरिकों को सहज एवं सुलभ जानकारी हो। जिला कलक्ट्रेट प्रत्येक जिले का मुख्य कार्यालय होने तथा जिले के सभी कार्यालयों का व्यावहारिक रूप से समन्वयक कार्यालय होने के कारण उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस दिशा में ''सूचना का अधिकार'' की जिला निर्देशिका का प्रकाशन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जिला कलक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला निर्देशिका बनावें एवं इसे प्रतिवर्ष नियमित रूप से अद्यतन (up-date) करने की कार्यवाही करावें।

प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में लोक सूचना के आवेदनों की प्राप्ति, निस्तारण एवं अन्य पत्राचार आदि के संधारण का समुचित अभिलेख संधारित होना चाहिये। लम्बित अपीलों/परिवादों आदि में हुये निर्णयों का समुचित अभिलेख भी संधारित होना चाहिये।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने के उपरांत, वर्षों से व्याप्त गोपनीयता का ताना–बाना लिये अधिकारियों की सोच में परिर्वतन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात्, इस अल्प समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की क्रियान्विति उत्साहवर्धक है।

अध्याय – 6

संप्रेषण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून, 2005 में लागू हुआ। इसके पश्चात् लगभग उन्नीस वर्ष का समय, यह अधिनियम देख चुका है। सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवादों/द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाइयों व समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। इन्हीं चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, वे संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार है :–

1. अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है, इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाऐं भी जागी हैं। जनता इस अधिनियम को उनके व विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचनाओं की माँग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहाँ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है।
4. सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्कता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके व लाभ उठावे, इस दिशा में राजकीय स्तर पर और विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।
5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के बिन्दू पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित हो और उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश होना आज की पहली आवश्यकता है। सूचना का अधिकार के प्रति सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा सकारात्मक मानसिकता के लिए और प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है।

6. राज्य के अनेक लोक सूचना अधिकारीगण तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर तक, जिनका इस अधिनियम के अन्तर्गत कदम उठाने व कार्यवाही करने से संबंध है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक/पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नहीं पहुँच पाई है जिसके अभाव में, उनका इस विषय का आदिनांक तक ज्ञान अधूरा सा है, इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जिन लोक सूचना अधिकारीगण से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नही दे रहे हैं। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय के लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें विषय की विधिक बारीकियों का, वह ज्ञान नहीं होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है। राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिस पर भी लोक सूचना अधिकारीगण सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित नहीं होकर अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिनिधि के रूप में भेजते है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। अतः इस मामलें में गंभीरता बरतने की आवश्यकता है।

8. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ पंक्ति का अधिकारी होता है। प्रायः व्यवहारिक तौर पर यह देखने में आया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों में पर्याप्त संख्या में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त नहीं हैं। अन्य राजकार्यों में व्यस्तता के कारण ऐसे प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपीलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण प्रथम अपीलों में उनके द्वारा दिये जाने वाले निर्णय प्रायः गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं अथवा उनका निस्तारण निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नहीं हो रहा है, साथ ही प्रथम अपीलों में पारित निर्णयों की समुचित क्रियान्विति नहीं होने से अपीलार्थी को विवश होकर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलें/परिवाद दायर करने पड़ रहे हैं। चूंकि प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ है, अतः प्रथम अपील का समय पर निर्णय एवं उनके निर्णय की पालना करवाया जाना विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।

9. राज्य सरकार के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मॉनिटरिंग हेतु इस विभाग में एक डेडीकेटेड सैल भी गठित किया गया है, जो अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक

सहयोग प्रदान कर रहा है। इस डेडीकेटेड सैल का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस सैल द्वारा सभी जिलों में, जिला कलक्टर कार्यालय में समय–समय पर जिले के अधिकारियों (राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी) की बैठक रखी जावे। बैठक में अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की क्रियान्विति के विषय में अधिनियम के प्रावधानों/भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों की जानकारी देकर उनकी कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान, आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जावे, जिससे उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने में सहायता प्राप्त हो व इस कार्य में उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो सके। यह सैल निरीक्षण व समीक्षा का कार्य भी करेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ–साथ राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों/परिपत्रों को उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त अपील प्राधिकारी व लोक सूचना अधिकारियों के उपयोगार्थ ''हस्तपुस्तिका'' तैयार कर उसे भी उपलब्ध कराया गया तथा यह कार्य निरन्तर किया जा रहा है, जिससे अधिकारीगण अधिनियम की भावना के अनुरूप उचित रूप से कार्य कर सकें।

10. अधिनियम की धारा – 4 (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करायेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी ''वेबसाइट'' पर कुछ सूचनाएँ उपलब्ध करवाई हैं, परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रथम तो आम आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन 'वेबसाइट्स' में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर अद्यतन (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है, तीसरे, अनेक सूचनाओं को निर्धारित छपे फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है। धारा 4(1) के तहत स्वैच्छिक पारदर्शिता के प्रति सरकारी विभाग अधिक सकारात्मक एवं सक्रिय रहेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग की आवश्यकता ही न्यून होगी, इससे पारदर्शिता से सुशासन का उद्देश्य ही पूर्ण होगा। प्रदेश में जनसूचना पोर्टल की शुरूआत कर उसमें अधिनियम की धारा 4(2) के तहत राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तथा उसमें लाभार्थियों के विवरण को सही समय पर सार्वजनिक किया

जाना अच्छी पहल है। इसमें अन्य सूचनाओं को जोड़कर इसका दायरा बढ़ाना समय की मांग है।

11. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में अंकितानुसार ''गैर सरकारी संगठन'' जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित हैं, वे इसमें प्रावधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेक संस्थाऐं हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं, इन संस्थाओं को भी अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी पालना करनी चाहिये।

12. यह कि विभागों द्वारा अपने–अपने ''रिकॉर्ड्स'' का सही रख–रखाव नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना–पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगम, आयोग, समितियों आदि के अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, प्रबन्धन आदि के लिए राजस्थान में भी, भारत सरकार व अन्य कुछ राज्यों में प्रचलित पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट की तरह राजस्थान स्टेट पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जैसे कानून शीघ्र बनाने का सुझाव है।

जैसे–जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवम् यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारीगण/कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोत्तर विकास होगा, जो प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।

13. आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों/परिवादों में अधिरोपित शास्ति जमा कराने की प्रगति कम है, जिसके कारण विभागों/लोक प्राधिकरणों से बार–बार पत्राचार करना पड़ता है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(7) के अन्तर्गत आयोग के आदेश बाध्यकारी हैं। प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों (Supervisory officers) से यह अपेक्षा की जाती है कि, वे समीक्षा बैठकों में सूचना का अधिकार अधिनियम के बिन्दुओं को समीक्षा में शामिल करें, इसके लिये प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का लेखा–जोखा रजिस्टर संधारित करने से, समीक्षा में सहूलियत रहेगी, साथ ही कार्यालय द्वारा अपीलों के जवाब आदि में भी अवांछित विलम्ब से बचा जा सकेगा। राज्य सरकार

द्वारा समय–समय पर आयोजित जिला कलेक्टर सम्मेलन के एजेण्डा बिन्दू में भी सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए। सभी लोक प्राधिकरणों को आयोग द्वारा अधिरोपित क्षतिपूर्ति की राशि, स्वतः शीघ्र जमा कराया जाना एवं अधिरोपित शास्ति राशि सम्बन्धित दोषी राज्य लोक सूचना अधिकारी से वसूल कर आयोग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

14. आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व चार सूचना आयुक्त के पद स्वीकृत है जिनमें से एक सूचना आयुक्त का पद रिक्त है। आयोग में अधिकारी/कर्मचारियों के 80 पद (01 वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद दिनांक 15.07.2024 को स्वीकृत हुआ है) स्वीकृत हैं, इनमें से 76 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर कार्यरत हैं तथा 4 पद रिक्त है, जिनका विवरण परिशिष्ट–1 पर अंकित है।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में पदों का विवरण

मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त

क.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	मुख्य सूचना आयुक्त	01	01	0
2	सूचना आयुक्त	04	03	1
	योग	**05**	**04**	**1**

अधिकारी एवं कर्मचारी

क.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	0
2	उप सचिव	1	1	0
3	रजिस्ट्रार कम विशेषाधिकारी	1	1	0
4	डिप्टी रजिस्ट्रार (अपील्स)	1	1	0
5	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	1	1	0
6	प्रोग्रामर	1	1	0
7	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	1	1	0
8	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
9	निजी सचिव	6	5	1
10	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
11	निजी सहायक	2	1	0
12	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	0
13	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
14	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
15	केयर टेकर कम स्टोर कीपर	1	1	0
16	रीडर	5	5	0
17	वरिष्ठ लिपिक	5	5	0
18	सहायक प्रोग्रामर	2	2	0
19	सूचना सहायक	3	3	0
20	जनरल क्लर्क (व.लि.)	4	4	0
21	कोर्ट क्लर्क (व.लि.)	4	4	0
22	जनरल क्लर्क (क.लि.)	1	0	1
23	कोर्ट क्लर्क (क.लि.)	1	1	0
24	कनिष्ठ लिपिक	1	1	0
25	कनिष्ठ लिपिक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी के माध्यम से)	3	3	0
26	वाहन चालक	6	6	0
27	बागवान (अनुबन्ध पर)	1	1	0
28	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23	22	1
	कुल योग	**80**	**76**	**04**

नोटः– वर्तमान स्थितिनुसार

परिशिष्ट–2

सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण वर्ष 2024 (01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024) तक

प्रपत्र–क

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2024 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद			
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	666	536	102	8	20	5872
2	समेकित बाल विकास विभाग	596	508	28	25	35	11180
3	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	2337	1955	166	112	104	152879
4	आयुर्वेद विभाग	809	688	57	12	52	24916
5	गृह विभाग	63575	58777	101	2780	1917	1151778
6	वित्त विभाग	11895	11079	444	51	321	360951
7	पर्यावरण विभाग	24	23	0	1	0	180
8	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	859	837	0	4	18	8970
9	अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	349	262	71	2	14	8461
10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	8253	6686	0	0	1567	780794
11	राज. राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर	17	17	0	0	0	910
12	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	520	428	1	91	0	8183
13	राज. राज्य मानवाधिकार आयोग	229	229	0	0	0	7634
14	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	75	75	0	0	0	950
15	आयोजना विभाग	629	573	8	40	8	8731
16	एच.सी.एम. रीपा	17	17	0	0	0	262
17	विधि एवं विधिक एवं संसदीय कार्य विभाग	264	117	15	127	5	1210
18	ऊर्जा विभाग	10307	8572	927	79	729	120779
19	जल संसाधन विभाग	1191	1088	54	47	2	76700
20	तकनीकी शिक्षा विभाग	609	541	45	6	17	10528
21	राजभवन, जयपुर	332	0	332	0	0	2369
22	सामान्य प्रशासन विभाग	828	828	0	0	0	10954
23	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	10492	10158	207	4	123	104940
24	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	55	32	9	2	12	186

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2024 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
25	सहकारिता विभाग	3978	3604	163	111	100	228977
26	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	1397	1369	7	2	19	44904
27	कृषि विभाग	2117	1724	215	35	143	49455
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2678	2469	86	31	92	205766
29	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	51	51	0	0	0	1274
30	नगर निगम, जयपुर	4106	3152	450	86	418	71184
31	श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	671	655	4	6	6	9956
32	पर्यटन विभाग	144	136	6	2	0	4745
33	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1025	966	31	19	9	10803
34	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	1348	1292	5	43	8	17559
35	उच्च शिक्षा विभाग	1091	950	105	22	14	14368
36	देवस्थान विभाग	1096	1021	50	13	12	98896
37	वन विभाग	1790	1553	123	38	76	61200
38	निर्वाचन विभाग	1173	1022	30	57	64	19115
39	राजस्थान राज्य महिला आयोग	74	74	0	0	0	1528
40	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	43	43	0	0	0	834
41	कार्मिक विभाग	864	862	2	0	0	40132
42	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	2037	1564	182	148	143	129433
43	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2287	1800	352	73	62	30092
44	परिवहन विभाग	2790	2570	72	64	84	45101
45	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	300	274	0	0	26	7719
46	स्वायत्त शासन विभाग	12753	8720	1069	951	2013	465533
47	पशुपालन विभाग	475	334	67	12	62	12811
48	कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	170	165	0	2	3	11672
49	आवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	3	3	0	0	0	0
50	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	281	259	12	8	2	2602
51	युवा मामले एवं खेल विभाग	104	94	10	0	0	1000
52	लोकायुक्त सचिवालय	495	495	0	0	0	43781

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2024 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
53	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	948	940	1	7	0	8104
54	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	832	687	127	4	14	25651
55	उपनिवेशन विभाग	249	187	24	14	24	2965
56	सैनिक कल्याण विभाग	121	121	0	0	0	1250
57	जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग	114	114	0	0	0	1000
58	संस्कृत शिक्षा विभाग	213	209	0	1	3	3571
59	शिक्षा विभाग	9840	8086	1076	537	141	98083
60	आयुक्तालय महिला अधिकारिता विभाग	130	91	24	11	4	20154
61	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	10	10	0	0	0	30
62	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	47	47	0	0	0	544
63	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	900	890	5	5	0	16818
64	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	15089	13730	418	582	359	228390
65	राजस्व विभाग	1008	1002	3	1	2	29395
66	नगरीय विकास विभाग (स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	14243	11660	426	236	1921	1009442
67	उपभोक्ता मामले विभाग	114	111	3	0	0	4690
68	भू–जल विभाग	18	18	0	0	0	290
69	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान	65	47	1	16	1	938
70	राजस्थान विधान सभा सचिवालय	86	40	30	16	0	2492
71	बाल अधिकारिता विभाग	109	73	33	0	3	398
72	राजकीय उपक्रम विभाग	5	5	0	0	0	60
73	ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण	2	2	0	0	0	20
74	शांति और अहिंसा विभाग	2	1	0	1	0	10
75	न्याय विभाग	7	7	0	0	0	70
76	संभागीय आयुक्त जयपुर	183	174	0	9	0	6545
77	संभागीय आयुक्त जोधपुर	87	87	0	0	0	1247
78	संभागीय आयुक्त भरतपुर	74	74	0	0	0	2630
79	संभागीय आयुक्त कोटा	37	27	0	10	0	384
80	संभागीय आयुक्त अजमेर	118	118	0	0	0	1408

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2024 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
81	संभागीय आयुक्त बीकानेर	77	71	4	0	2	3002
82	संभागीय आयुक्त उदयपुर	81	81	0	0	0	2292
83	जिला कलक्टर अलवर	758	521	127	98	12	7555
84	जिला कलक्टर अजमेर	698	531	167	0	0	3820
85	जिला कलक्टर भरतपुर	337	337	0	0	0	3370
86	जिला कलक्टर बीकानेर	942	766	105	62	9	9860
87	जिला कलक्टर बांसवाड़ा	282	238	0	36	8	5359
88	जिला कलक्टर बारां	193	181	4	0	8	4700
89	जिला कलक्टर भीलवाड़ा	782	728	40	14	0	24013
90	जिला कलक्टर बूंदी	255	245	0	10	0	3501
91	जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	617	580	20	0	17	5190
92	जिला कलक्टर चूरू	433	387	18	5	23	7575
93	जिला कलक्टर बाड़मेर	826	812	14	0	0	21116
94	जिला कलक्टर दौसा	252	117	29	47	59	2174
95	जिला कलक्टर धौलपुर	81	77	0	1	3	1320
96	जिला कलक्टर डूंगरपुर	113	99	0	1	13	1862
97	जिला कलक्टर हनुमानगढ़	397	357	10	16	14	3721
98	जिला कलक्टर जयपुर	42	42	0	0	0	120
99	जिला कलक्टर जालोर	241	239	2	0	0	2850
100	जिला कलक्टर झालावाड़	201	182	1	17	1	2793
100	जिला कलक्टर झुन्झुनूं	858	829	3	22	4	9560
102	जिला कलक्टर कोटा	234	234	0	0	0	2340
103	जिला कलक्टर करौली	482	444	16	10	12	5201
104	जिला कलक्टर नागौर	850	756	25	31	38	13422
105	जिला कलक्टर जैसलमेर	599	528	30	41	0	5990
106	जिला कलक्टर पाली	576	488	46	17	25	10736
107	जिला कलक्टर प्रतापगढ़	653	649	2	2	0	10750
108	जिला कलक्टर राजसमन्द	689	608	37	32	12	16338

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2024 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
109	जिला कलक्टर सवाई माधोपुर	621	586	20	15	0	9462
110	जिला कलक्टर सीकर	451	436	15	0	0	4210
111	जिला कलक्टर सिरोही	320	277	6	29	8	3470
112	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर	498	402	43	48	5	6105
113	जिला कलक्टर टोंक	501	492	5	0	4	10262
114	जिला कलक्टर उदयपुर	833	744	40	5	44	12711
115	जिला कलक्टर बालोतरा	319	294	0	10	15	6506
116	जिला कलक्टर ब्यावर	606	606	0	0	0	6290
117	जिला कलक्टर डीग	133	127	0	6	0	1406
118	जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन	411	390	2	3	16	6602
119	जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा	258	252	0	3	3	2740
120	जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	367	360	5	1	1	3242
121	जिला कलक्टर सलूम्बर	69	68	0	1	0	700
122	जिला कलक्टर फलौदी	148	145	2	1	0	1410
123	जिला कलक्टर जोधपुर	1044	703	120	105	116	9489
		224048	**196814**	**8737**	**7253**	**11244**	**6232471**

सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण वर्ष 2024

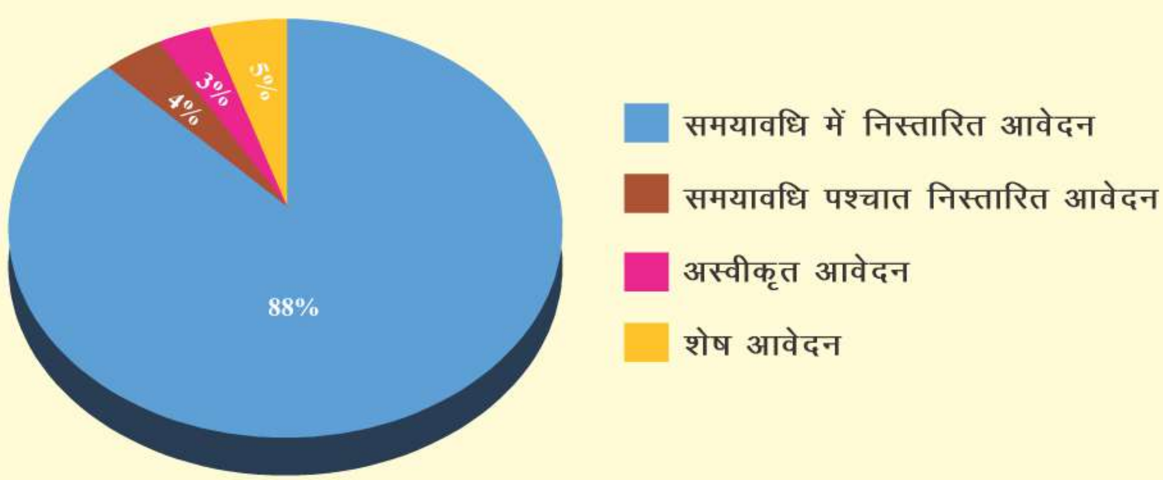

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण वर्ष 2024 (01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024)

प्रपत्र –ख

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	159	123	34	2
2	समेकित बाल विकास विभाग	69	47	20	2
3	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	534	485	49	0
4	आयुर्वेद विभाग	136	113	1	22
5	गृह विभाग	3462	1135	2169	158
6	वित्त विभाग	1775	1523	116	136
7	पर्यावरण विभाग	4	4	0	0
8	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	59	49	0	10
9	अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	20	18	1	1
10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	1436	1316	0	120
11	राज. राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर	3	3	0	0
12	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	82	12	67	3
13	राज. राज्य मानवाधिकार आयोग	23	22	0	1
14	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	6	0	6	0
15	आयोजना विभाग	84	72	12	0
16	एच.सी.एम. रीपा	3	0	3	0
17	विधि एवं विधिक एवं संसदीय कार्य विभाग	44	4	35	5
18	ऊर्जा विभाग	1639	1123	414	102
19	जल संसाधन विभाग	153	134	17	2
20	तकनीकी शिक्षा विभाग	137	128	3	6
21	राजभवन, जयपुर	55	1	54	0
22	सामान्य प्रशासन विभाग	152	147	0	5
23	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	612	88	520	4
24	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	37	37	0	0
25	सहकारिता विभाग	268	244	19	5

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
26	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	280	96	166	18
27	कृषि विभाग	218	98	98	22
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग	407	375	31	1
29	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	4	3	0	1
30	नगर निगम, जयपुर	411	290	116	5
31	श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	89	50	30	9
32	पर्यटन विभाग	23	23	0	0
33	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	127	112	15	0
34	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	791	770	21	0
35	उच्च शिक्षा विभाग	237	219	0	18
36	देवस्थान विभाग	100	61	39	0
37	वन विभाग	273	216	33	24
38	निर्वाचन विभाग	182	74	96	12
39	राजस्थान राज्य महिला आयोग	12	0	12	0
40	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	1	0	0
41	कार्मिक विभाग	61	61	0	0
42	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	166	149	7	10
43	चिकित्सा शिक्षा विभाग	461	422	28	11
44	परिवहन विभाग	409	375	27	7
45	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	14	9	0	5
46	स्वायत्त शासन विभाग	1506	1032	342	132
47	पशुपालन विभाग	45	44	0	1
48	कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	22	19	3	0
49	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	0	0	0	0
50	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	52	52	0	0
51	युवा मामले एवं खेल विभाग	14	14	0	0
52	लोकायुक्त सचिवालय	34	32	0	2
53	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	68	65	3	0

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
54	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	95	53	0	42
55	उपनिवेशन विभाग	41	19	22	0
56	सैनिक कल्याण विभाग	17	17	0	0
57	जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग	14	14	0	0
58	संस्कृत शिक्षा विभाग	34	28	4	2
59	शिक्षा विभाग	2422	2037	333	52
60	आयुक्तालय महिला अधिकारिता विभाग	16	10	6	0
61	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1	0	0	1
62	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	11	3	8	0
63	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	111	55	54	2
64	ग्रामीण विकास पंचायतीराज विभाग	1759	1540	191	28
65	राजस्व विभाग	212	198	13	1
66	नगरीय विकास विभाग (स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	1997	1585	170	242
67	उपभोक्ता मामले विभाग	2	2	0	0
68	भू–जल विभाग	0	0	0	0
69	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान	10	3	7	0
70	राजस्थान विधान सभा सचिवालय	9	0	9	0
71	बाल अधिकारिता विभाग	3	3	0	0
72	राजकीय उपक्रम विभाग	0	0	0	0
73	ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण	0	0	0	0
74	शांति और अहिंसा विभाग	0	0	0	0
75	न्याय विभाग	0	0	0	0
76	संभागीय आयुक्त जयपुर	12	1	10	1
77	संभागीय आयुक्त जोधपुर	5	5	0	0
78	संभागीय आयुक्त भरतपुर	12	2	8	2
79	संभागीय आयुक्त कोटा	6	0	5	1
80	संभागीय आयुक्त अजमेर	7	2	5	0
81	संभागीय आयुक्त बीकानेर	0	0	0	0

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
82	संभागीय आयुक्त उदयपुर	8	0	8	0
83	जिला कलक्टर अलवर	253	100	141	12
84	जिला कलक्टर अजमेर	85	19	66	0
85	जिला कलक्टर भरतपुर	72	18	54	0
86	जिला कलक्टर बीकानेर	226	99	127	0
87	जिला कलक्टर बांसवाड़ा	22	5	17	0
88	जिला कलक्टर बारां	42	8	33	1
89	जिला कलक्टर भीलवाड़ा	52	7	40	5
90	जिला कलक्टर बूंदी	39	3	36	0
91	जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	132	66	52	14
92	जिला कलक्टर चूरू	81	80	0	1
93	जिला कलक्टर बाड़मेर	146	30	105	11
94	जिला कलक्टर दौसा	85	21	53	11
95	जिला कलक्टर धौलपुर	4	0	4	0
96	जिला कलक्टर डूंगरपुर	5	5	0	0
97	जिला कलक्टर हनुमानगढ़	56	13	41	2
98	जिला कलक्टर जयपुर	0	0	0	0
99	जिला कलक्टर जालोर	28	5	21	2
100	जिला कलक्टर झालावाड़	18	1	17	0
101	जिला कलक्टर झुन्झुनूं	136	4	131	1
102	जिला कलक्टर कोटा	6	4	1	1
103	जिला कलक्टर करौली	69	6	31	32
104	जिला कलक्टर नागौर	145	76	69	0
105	जिला कलक्टर जैसलमेर	30	8	22	0
106	जिला कलक्टर पाली	94	37	57	0
107	जिला कलक्टर प्रतापगढ़	34	24	5	5
108	जिला कलक्टर राजसमन्द	182	105	65	12
109	जिला कलक्टर सवाई माधोपुर	88	7	81	0
110	जिला कलक्टर सीकर	125	81	30	14

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
111	जिला कलक्टर सिरोही	73	40	33	0
112	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर	130	14	81	35
113	जिला कलक्टर टोंक	76	18	45	13
114	जिला कलक्टर उदयपुर	185	103	65	17
115	जिला कलक्टर बालोतरा	44	7	29	8
116	जिला कलक्टर ब्यावर	73	73	0	0
117	जिला कलक्टर डीग	23	8	14	1
118	जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन	44	5	32	7
119	जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा	30	29	0	1
120	जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	53	32	19	2
121	जिला कलक्टर सलूम्बर	15	7	8	0
122	जिला कलक्टर फलौदी	35	9	26	0
123	जिला कलक्टर जोधपुर	295	210	85	0
		27094	**18454**	**7196**	**1444**

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण वर्ष 2024

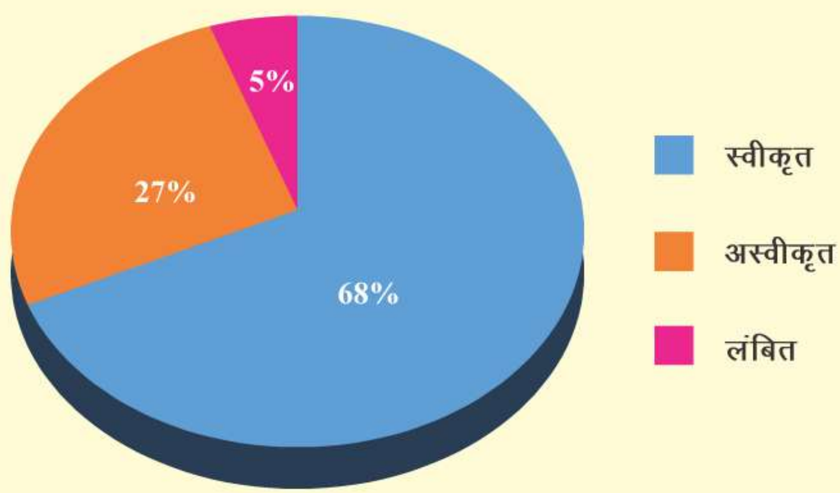

विभाग/लोक प्रधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2024 (01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024) में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

प्रपत्र – ग

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकारण	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	गृह विभाग (कारागार)	श्री निशांत धोब	कनिष्ठ सहायक	17 सीसीए के तहत कार्यवाही कर सूचना निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं कराये जाने पर दिनांक 19.03.2024 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दंडित किया गया।	
2	वित्त विभाग	श्री हम्मीर सिंह चौहान	पर्यवक्षक (कार्यवाहक सहायक निदेशक), जिला कार्यालय मुख्यालय	• मुख्यालय स्तर से 17सीसीए का नोटिस दिया गया। • संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा 17सीसीए का नोटिस दिया गया।	प्रकरण निर्णयाधीन
3	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	**(जिला परिषद बांसवाड़ा)** 1.श्री ओमप्रकाश मेघवा 2. श्री मलजी गणवा	ग्राम विकास अधिकारी	17 सी.सी.ए. का नोटिस।	
		(जिला परिषद बूंदी) 1. श्री राधेश्याम बैरवा 2. श्री मस्तराम मीणा 3. श्री संतोष गुर्जर 4. सत्यनारायण सैनी 5. हनुमान प्रसाद मीणा 6. ज्ञानीराम मीणा 7. कमलाशंकर मीणा	ग्राम विकास अधिकारी	17 सी.सी.ए. के तहत नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी।	
		(जिला परिषद् जयपुर) 1. श्री देवकरण बैरा 2. श्री महेंद्र कुमार 3. श्री महेश सिंह राठोड	ग्राम विकास अधिकारी	17 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही।	
		(जिला परिषद जोधपुर) 1. श्री भराराम विश्नोई 2. श्री महेंद्र सिंह चौहान 3. श्री सुधीर लिंकन 4. श्री दिग्विजय सिंह 5. श्री महेश विश्नोई 6. श्री महावीर सिंह 7. श्री सुनील व्यास	ग्राम विकास अधिकारी	17 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही।	
		(जिला परिषद् सीकर) 1. श्री ओम प्रकाश पंवार 2. श्री प्रदीप कुमार 3. श्री अंकित सैनी 4. श्री कृष्णावतार 5. श्री हिम्मत सिंह पिपलीवाल	ग्राम विकास अधिकारी	17 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही।	

विभाग/लोक प्राधिकरण जिनसे आंशिक/अपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण वर्ष 2024 (01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024)

प्रपत्र –घ

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2024 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
1	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1569	836	327	80	326	4450
2	उद्योग विभाग	372	334	12	25	1	17420
		1941	**1170**	**339**	**105**	**327**	**21870**

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण वर्ष 2024 (01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024)

क्र.सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	206	85	110	11
2	उद्योग विभाग	36	14	22	0
		242	**99**	**132**	**11**